भारत सरकार/Government of India
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय/Ministry of Health and Family Welfare
अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान
ALL INDIA INSTITUTE OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION
हाजी अली पार्क, केशवराव खाड्ये मार्ग, महालक्ष्मी, मुंबई- 400 034-
Haji Ali Park, K. Khadye Marg, Mahalaxmi, Mumbai – 400 34.
Tel. No.:022- 23544341/2. Fax No.022-23532737
www.aiipmr.gov.in

प्रॉस्पेक्टस
प्रोस्थेटिक एवं ऑर्थोटिक पाठ्यक्रम

Prospectus
Prosthetics and Orthotics courses

2020

PC 2/Prospectus/2020-21/BPO/Prospectus P&O 2020-21

संदेशः 1955 में स्थापित यह संस्थान भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक सर्वोच्च संस्थान है। देश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ विदेशों से आनेवाले गतिशिलता से संबंधी विकलांग व्यक्ति के प्रति व्यापक चिकित्सकीय पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए इस अद्वितिय संस्थान को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है।

भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास (पी.एम.आर.) चिकित्सा संबंधी विज्ञान की एक वैचारिक और दार्शनिक रुप से सशक्त शाखा है जिसका किसी व्यक्ति के भौतिक रुप से क्षतिग्रस्त हो जाने पर, क्रियात्मक प्रतिबंधन हो जाने पर या अपने जीवन की योजना और इच्छाओं पर आधारित अपनी पूर्ण क्रियात्मक क्षमता के अनुसार भागीदारी करने में प्रतिबंध हो जाने पर मुख्यतः उसका पुनर्वास करने का ध्येय है। इसके लिए कई संबंधित तत्सम चिकित्सा विशिष्ट विषयों जैसे भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, चिकित्सा सामाजिक कार्य, व्यावसायिक मार्गदर्शन और प्रशिक्षण, नर्सिंग पुनर्वास, श्रवण एवं वाक् भाषा, विकृति विज्ञान इत्यादि का पुनर्वास की एक ही छत के नीचे समाकलित रुप से कार्य करना आवश्यक हो जाता है।

हमारे देश में अधिकाधिक संख्या में प्रशिक्षित और समर्पित सहयोगी चिकित्सा कार्मिकों की तत्काल आवश्यकता है और कई नए पुनर्वास केंद्र स्थापित किये जा रहे हैं।

जो छात्र इस संस्थान में इन क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहते है, उन्हें उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा ताकि वे अपनी चिकित्सा की शाखा में उचित रुप से कार्य कर सकें, सभी आयु वर्ग के लोगों के पुनर्वास संबंधी मामलों को संचालित कर सकें और ऐसा करते समय वे नीतिपरक पहलुओं को एवं साक्ष्यों पर आधारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रख सकें और सर्वोपरि वे पुनर्वास टीम के एक अमुल्य सदस्य बन सकें।

मैं हर एक छात्र का अभिनंदन करता हूँ और कामना करता हूँ कि ज्ञान की खोज में आप सफल हों एवं आप अपना एक समृद्ध करियर बना सकें।

Director, AIIPMR

विषय- वस्तु

विशिष्टियाँ	पृष्ठ संख्या
कवर पृष्ठ	1
निदेशक का संदेश	2
विषय-वस्तु	3
संस्थान के संबंध में	4-6
सामान्य जानकारी	6
विश्वविद्यालय संबंद्धता	6
पाठ्यक्रम मान्यता	6
आवेदन फीस	7
आवेदन की प्रक्रिया	7
पाठ्यक्रम फीस	8
होस्टल	9
व्यवहार एवं अनुशासन	9
परिणाम की घोषणा/ चयन सूची	17
बी.पी.ओ.(B.P.O.) पाठ्यक्रम की जानकारी	
सीटों की उपलब्धता	10
योग्यता	11
आवश्यक प्रमाण-पत्र/ दस्तावेज	11-12
पाठ्य-विवरण	12-13
एम. पी. ओ पाठ्यक्रम की जानकारी	
आवेदन प्रपत्र जमा करने संबंधी जानकारी	7-8
सीटों की उपब्धता	14
योग्यता	14-15
आवश्यक प्रमाण-पत्र/ दस्तावेज	15-16
प्रवेश परीक्षा की योजना और एडमिट कार्ड	16
एम.पी.ओ.(M.P.O.) पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा की महत्वपूर्ण जानकारी	17
पाठ्य- विवरण	18
प्रासंगिक संपर्क	19
प्रवेश परीक्षा / प्रवेश की समय सारणी	20
भारत सरकार के कोटे के अधीन आवेदन के ओबीसी प्रमाण-पत्र का प्रारुप	21
राज्य के जारी न करने पर जाति वैधता प्रमाण-पत्र का प्रारुप	22
सरासरी तौर पर बी.पी.ओ.(B.P.O.) /एम.पी.ओ.(M.P.O.) पाठ्यक्रम की प्रक्रिया	23
बी.पी.ओ.(B.P.O.) /एम.पी.ओ.(M.P.O.) पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन प्रपत्र एवं प्रवेश परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड	अलग से संलग्न है
1. पाठ्यक्रम के लिए प्रपत्र 2. एंटी-रैगिंग घोषणा प्रपत्र 3. पहचान कार्ड के लिए आवेदन प्रपत्र 4. हॉस्टेल आवास हेतु आवेदन प्रपत्र 5. 'बेवाकी'(नो ड्युस) प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन प्रपत्र 6. प्रवेश को रद्द करने हेतु आवेदन प्रपत्र	संस्थान की वेबसाइट - www.aiipmr.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते है।

अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान

यह संस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन देश का एक अग्रणी संस्थान है, जो एक ही छत के नीचे व्यापक चिकित्सकीय पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करता है, विभिन्न चिकित्सकों और तत्सम स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है और शोध कार्य भी करता है।

यह संस्थान सुसज्जित पुनर्वास केंद्रों में से एक है जिसमें मुख्य ब्लॉक के अंदर ओपीडी कॉम्प्लेक्स, 'स्टेट ऑफ आर्ट' ऑपरेशन थिएटर और एक पोस्ट- ऑपरेटिव रिकवरी रुम, हाई टेक प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स संरचना विभाग,छात्रावास और गेस्ट रुम स्थित है। दो अन्य ब्लॉक में चिकित्सा पुनर्वास विभाग स्थित है जिसमें विकृति विज्ञान और विकिरण विभाग , 55 बेड की अंतरंग रोगी सुविधा, पुनर्वास चिकित्सा विभाग सम्मिलित है जिसमें उन्नत व्यावसाय़िक चिकित्सा सेवाएं जैसे व्हिलचेयर और भौतिक रुप से स्थानांतरण, ड्रायविंग का आकलन और कार्य के कठोरीकरण की सुविधा उन्नत भौतिक चिकित्सा सेवाएं जिसमें तुलन का आकलन और प्रशिक्षण इकाई, गेट एवं मोशन आकलन लैब, वाक् मार्गदर्शन चिकित्सा, चिकित्सा सामाजिक कार्य, व्यावसायिक मार्गदर्शन, व्यावसायिक प्रशिक्षण विभाग एवं शैक्षणिक अनुभाग और इंटरनेट सुविधा के साथ लैस लाइब्रेरी के साथ प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स कार्यशाला भी शामिल है।

संस्थान पुनर्वास के क्षेत्र में सेवाएँ और प्रशिक्षण प्रदान करने एवं शोध कार्य का संचालन करने के प्रति प्रतिबद्ध है। भविष्य – निरुपण(vision) -गतिशीलता संबंधी विकलांगता से ग्रस्त हर व्यक्ति की क्षमता को यथार्थ बनाना जिससे उसको समाज में समान अवसर प्राप्त हों, उसके अधिकारों की रक्षा हो सके और उसकी पूर्ण भागीदारी हो सके।

लक्ष्य- गतिशिलता संबंधी विकलांग लोगों की चिकित्सकीय आवश्यक्ताओं से भी अधिक गुणवत्ता की मध्यस्थताओं का प्रयोग कर उन्हें अनुकूलता से सक्षम बनाना ताकि वे सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें, पुनर्वास पेशावरों का प्रशिक्षण करना एवं शोध कार्य करना।

संस्थान के उद्देश्य-

- चिरकालिक विकारों के साथ न्युरो-मस्कूलोस्केलेटल विकारों के सभी वर्गों के लिए व्यापक चिकित्सकीय पुनर्वास सेवाएँ बनाना एवं प्रदान करना।
- विकलांगता निवारण और पुनर्वास पर अधिक जोर देते हुए अंतर-विषय अभिगम (इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच) द्वारा सेवाएँ बनाना और प्रदान करना।
- अल्पकालिक अभिमुखीकरण पाठ्यक्रमों और दीर्घकालिक स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों द्वारा पुनर्वास पेशावरों को प्रशिक्षण देना।
- सामूदायिक स्तर पर स्वास्थ्य पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करना।
- कृत्रिम अंगो और ऑर्थोसिस (मानव शरीर के बाह्य समर्थक अंग) की संरचना करना और उनको जोडना।
- भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास के क्षेत्र में शोध कार्य संचालित करना।
- सरकार और गैर सरकारी संघटनों को सहयोग देना और उनके साथ समन्वय करना ताकि समय – समय पर पुनर्वास सेवाओं की उन्नति और अनुश्रवण को सूत्रबद्ध करने के लिए परामर्शी सेवाएँ दी जा सकें।

विभागः-

1. चिकित्सा पुनर्वासः

- भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास (पीएमआर)
- नर्सिंग
- विकिरण विज्ञान
- विकृति विज्ञान
- भौतिक चिकित्सा
- व्यावसायिक चिकित्सा
- वाक् और श्रवण विज्ञान

2) पुनर्वास अभियांत्रिकीः-

- प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स (कार्यशाला के साथ)
- बायोमेडिकल अभियांत्रिकी

3) सामाजिक पुनर्वासः-

- चिकित्सा समाज कार्य
- व्यावसायिक मार्गदर्शन
- व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यशाला

4) सहायक सेवाएँः-

- प्रशासन
- लेखा
- शैक्षणिक अनुभाग
- लाइब्रेरी
- फोटोग्राफी
- हिंदी विभाग
- सम्मेलन कक्ष सुविधा (दृश्य- श्रव्य व्यवस्थापन के साथ)
- खेल एवं मनोरंजन सुविधा

शैक्षणिकः-

स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर कई, डिग्री डिप्लोमा और फेलोशिप पाठ्यक्रमों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं, जो महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक से संबंधित होते हैं।

इस संस्थान में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैः-

क्रम संख्या	पाठ्यक्रमों के नाम	अवधि
1	एम.डी (भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास)	3 साल
2	भौतिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर	2 साल
3	भौतिक चिकित्सा पुनर्वास में फेलोशिप पाठ्यक्रम	1 साल
4	व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर	3 साल
5	व्यावसायिक चिकित्सा पुनर्वास में फेलोशिप पाठ्यक्रम	1 साल
6	प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स में स्नातकोत्तर	2 साल
7	प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स में स्नातक	4 ½ साल(6 माह की अनिवार्य इंटर्नशीप को सम्मिलित करते हुए)
8	श्रवण, भाषा एवं वाक में डिप्लोमा	11 महीने

- यह पाठ्यक्रम भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली से सम्बध्दित है, एवं भारतीय पुनर्वास परिषद की ओर से अली यावर जंग, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई परीक्षा का संचालन करता है।
- यह संस्थान डब्ल्यू.एच.ओ. (विश्व स्वास्थ्य संगठन) द्वारा संपूर्ण विश्व से नामित विशेषज्ञों को फेलोशिप कार्यक्रमों के अंतर्गत फेलोशिप और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान करता है।

सामान्य जानकारी

1. पाठ्यक्रम सम्बद्धता- महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ (एमयूएचएस, नाशिक से)
2. मान्यता – भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.) , नई दिल्ली (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीन एक नियंत्रक निकाय।)
3. आरक्षण-
   - 3.1 भारत सरकार के संस्थानों में प्रचलित शर्तो / उपबंधों/ व्यवस्थाओं के अनुसार और समय- समय पर किये जाने वाले उनके संशोधनों के अनुसार आरक्षण किया जाएगा।
   - 3.2 ओ.बी.सी आरक्षण, ओबीसी की केंद्रीय सूची के अनुसार किया जाएगा।
   - 3.3 विकलांग/ दिव्यांग अभ्यर्थी की योग्यता संस्थान के मेडीकल बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी।
4. पठन की भाषाः- इंग्लिश (इंग्लिश भाषा की अच्छी जानकारी, मेडिकल और तकनिकी शब्दावलियों को समझने हेतु अपेक्षित है।

5. **आवेदन प्रपत्र फीस**

* सभी भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के रुप में प्राप्त किये जाएंगे जो 'निदेशक, अ.भा.भौ.चि.पु.सं.' के नाम केवल राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किये गए हों और मुंबई में देय हों। किसी अन्य तरीके से किया गया भुगतान अस्वीकार किया जाएगा। आवेदन प्रपत्र फीस किसी भी स्थिति में लौटायी/ स्थानांतरित नहीं की जाएगी।

बी.पी. ओ. पाठ्यक्रम के लिए:-

5.1 सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रपत्र फीस -350/-

5.2 अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जन जाति (एसटी) / शारीरिक विकलांग (पीएच)अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रपत्र फीस -250/-

एम.पी.ओ. पाठ्यक्रम के लिए:-

5.3 सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रपत्र फीस -650/-

5.4 अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जन जाति (एसटी) / शारीरिक विकलांग (पीएच)अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रपत्र फीस -550/-

6. **आवेदन की प्रक्रिया विवरण-**

विवरण पत्रिका और आवेदन प्रपत्र-

6.1 विवरण पत्रिका और आवेदन प्रपत्र को संस्थान की वेबसाइट aiipmr.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। विधिवत भरा हुआ आवेदन प्रपत्र , आवेदन प्रपत्र फीस के साथ संस्थान को अग्रेषित किया जा सकता है।

6.2 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। 30 cms X 25 cms आकार का (A4 आकार का) लिफाफा जिस पर 80/-रुपये का पोस्टेज स्टैंप चिपका हो, जिसपर अपना पता लिखा हो और जिसके ऊपर (पाठ्यक्रम का नाम) के लिए आवेदन लिखा हो, आवेदन प्रपत्र फीस/विवरण पत्रिका फीस के साथ (अधिमानत: स्पीड पोस्ट द्वारा) संस्थान को भेज देना चाहिए।

6.3 डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर के पीछे अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर के साथ आवेदक का नाम और पाठ्यक्रम का नाम लिखें।

7 **आवेदन प्रपत्र को जमा करना –**

एम.पी.ओ. .(M.P.O.) पाठ्यक्रम के लिए:

7.1 केवल एम.पी.ओ.(M.P.O.) के लिए एडमिट कार्ड के साथ, विधिवत भरा हुआ आवेदन प्रपत्र (ड्यूप्लिकेट में), आवेदन प्रपत्र फीस और आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित स्व- अनुप्रमाणित आवश्यक प्रमाण-पत्र कमरा संख्या 201 , दूसरी मंजिल स्थित जमा कर सकते हैं/ पोस्ट द्वारा संस्थान के पते पर भेज सकते हैं ताकि वह एम.पी.ओ.(M.P.O.) के लिए 20/12/ 2020 को या उससे पहले पहुँच जाए।

बी.पी. ओ. पाठ्यक्रम के लिए:-

7.2 बी.पी. ओ. पाठ्यक्रम के लिए, विधिवत भरा हुए आवेदन प्रपत्र के साथ वर्तमान वर्ष (2020-21) के नीट (NEET) अंकों की मार्कशीट और बारहवी (XII) कक्षा की मार्कशीट प्रमाण –पत्र और डिमांड ड्राफ्ट पोस्ट द्वारा संस्थान के पते पर भेज सकते हैं या 15/12/2020 को या उससे पहले जमा कर सकते है।

7.3अधूरा आवेदन प्रपत्र / आवेदन प्रपत्र की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन प्रपत्र को रद्द किया जाएगा और किसी भी स्थिति में कितनी भी फीस वापस नहीं की जाएगी एवं इस संबंध में कोई भी संप्रेषण / पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा।

7.4 आवेदन प्रपत्र एवं एडमिट कार्ड पर फोटो समान होनी चाहिए और पिछले 6 महीनों के अंदर खिंची होनी चाहिए।

7.5 व्यक्तिगत रुप से फॉर्म जमा करने पर और यदि अभ्यर्थी को आवेदन प्रपत्र जमा करने की पावती चाहिए तो उस भरे हुए आवेदन प्रपत्र की एक फोटोकॉपी लानी होगी जिस पर अभिस्वीकृति दी जाएगी।

7.6 पूरा पत्र-व्यवहार उसी पते पर होगा जो आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र पर दिया गया है।

8. फिसः-

8.1 सभी भुगतान डिमांड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर के रुप में निदेशक , अ.भा.भौ. चि एवं पुनर्वास संस्थान के नामे किए जाने चाहिए। किसी भी अन्य प्रकार से भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों से निवेदन है कि वे डी.डी. के पीछे अपना नाम और पाठ्यक्रम का नाम, अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर के साथ लिखें।

क्र सं.	विशिष्टियॉं	राशि (रुपये में)
1	**प्रवेश फीस**	300/- प्रति वर्ष
2	**ट्यूशन फीस**	# 7,500/- प्रति वर्ष
3	**सुरक्षा जमा (पाठ्यक्रम की समाप्ति पर ही लौटाया जाएगा। प्रवेश रद्द करने पर राशि जब्त कर ली जाएगी)**	1,000/-
4	**स्पोर्ट्स क्लब फीस**	300/- प्रति वर्ष
5	**लाइब्ररी फीस**	500/- प्रति वर्ष
6	**स्टेशनरी, पहचान -पत्र फीस**	300/- प्रति वर्ष
7	**कार्यशाला/ प्रयोगशाला फीस**	2000/- प्रति वर्ष
8	**लाइब्रेरी जमा (आवेदन के साथ लाइब्रेरीयन से प्राप्त 'नो ड्युस' प्रमाण-पत्र जमा करने पर ही लौटाया जाएगा)**	2,000/-
Total		**13,900/-**
9	**विश्वविद्यालय पंजीकरण/ नामांकन/ योग्यता / कोई भी अन्य फीस**	विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों के अनुसार

प्रवेश होने के बाद छात्र छात्रवृत्ति के लिए, लागू अनुसार mahadbt पोर्टल पर, NSP,DMER इत्यादि पर आवेदन कर सकते हैं।

8.2 क्रम संख्या 8.1 में उल्लिखित 100% फीस (अर्थात- 13900/- रुपये) का भुगतान प्रवेश के समय करना है। (अंतिम तिथि की घोषणा विश्वविद्यालय/ डीएमइआर/ महाराष्ट्र सरकार द्वारा की जाएगी।)

8.3 अभ्यर्थियों को फीस की पावती की मूल प्रति के साथ पाठ्यक्रम की समाप्ति के तुरंत बाद जमा राशियों को वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करना है, अन्यथा उन राशियों की जब्त कर लिया जाएगा।

8.4 इस संस्थान द्वारा संचालित किसी भी पाठ्यक्रम हेतु ' स्टाइपेंड' नहीं दी जाती है।

8.5 **बॉन्ड जमा करना:-**

एम.पी.ओ.(M.P.O.) पाठ्यक्रम के लिए प्रवेशित अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम की समाप्ति हेतु 100000/- रुपये की राशि का बॉंड जमा करने की अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। जो नोटरी के साथ 100/- रुपये के स्टैम्प पेपर पर बनाया होना चाहिए। उसे 100000 रुपये (केवल एक लाख रुपये) की राशि पाठ्यक्रम न समाप्त करने के लिए जमा करनी होगी। यह एमयूएचएस, नाशिक / डीएमइआर / महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित अंतिम तिथि के बाद लागू होगा।

9.**बी.पी.ओ.(B.P.O.) और एम.पी.ओ.(M.P.O.) के लिए प्रवेश रद्द करना:-**

9.1 अगर अभ्यर्थी अंतिम तिथि (जो एमयूएचएस, नाशिक / डीएमइआर, महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित की गई है) के पहले अपना प्रवेश रद्द करता है तो 1000/- रुपये की जमा राशि प्रशासनिक व्यय के रूप में जब्त की जाएगी और बाकी की राशि लौटा दी जाएगी।

9.2 अंतिम तारीख के बाद प्रवेश रद्द करने पर न तो अखिल भारतीय कोटा और न महाराष्ट्र राज्य कोटा (डीएमइआर द्वारा चयनित) के अभ्यर्थी की फीस लौटाई जाएगी। उसे इस स्थिति में कोई भी जमा राशि भी लौटाई नहीं जाएगी।

9.3 प्रवेश आवेदन के साथ लाइब्रेरीयन / विभागाध्यक्ष द्वारा 'नो ड्युस' प्रमाण-पत्र के जमा करने पर ही रद्द किया जाएगा।

9.4 अभ्यर्थी को निर्धारित प्रपत्र में अंतिम परीक्षा / पाठ्यक्रम की समाप्ति के तुरंत बाद जमा राशियों की वापसी के लिए आवेदन करना है।

10. प्रवेश करने की अंतिम तारीख एमयूएचएस, नाशिक / डीएमइआर, महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित की जाएगी।

11. छात्रावास :-

11.1 संस्थान में बहुत सीमित रूप से छात्रावास सुविधा है। यदि छात्रावास में रिक्ति मौजूद है तो संस्थान प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, छात्रावास समिति द्वारा आबंटन किया जाएगा। जगह की कमी के कारण, छात्रों को शयनशाला के प्रकार का लाभ उठाना होगा। छात्रों को अपनी व्यवस्था स्वयं करने की स्वतंत्रता हैं क्योंकि संस्थान के अधिकारी छात्रावास में रहने के लिए अनिवार्य रुप से जोर नहीं देते हैं।

11.2 इस शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में ज्वलंत महामारी को देखते हुए , सभी पाठ्यक्रमों के नए प्रवेशित छात्राओं के लिए छात्रावास सुविधा संस्थान में उपलब्ध नहीं है।

12. व्यवहार और अनुशासन:-

12.1 आवेदन फार्म में पूर्ण रुप से और सही जानकारी अभ्यर्थी द्वारा न देने पर और / या किसी जानकारी को न देने / छुपाने पर अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और किसी भी समय पर तुरंत वर्जन किया जाएगा।

12.2 परीक्षा हॉल में अनुचित साधनों का प्रयोग करना या कैसे भी अनाचार में शामिल होना यथावत निषिद्ध है।

12.3 किसी प्रकार की रैगिंग निषिद्ध है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निदेश संख्या 2009 की सिविल अपील संख्या 887 के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। अगर छात्र रैगिंग करते हुए या रैगिंग का प्रोत्साहन करते हुए पाया जाता है तो उसका संस्थान के प्राधिकरण द्वारा तुरंत अस्थायी रूप से निष्कासित कर दिया जाएगा।

12.4 उपर्युक्त मामलों के अलावा किसी भी अन्य मामले में संस्थान के प्राधिकरण का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

12.5 प्रवेश प्रक्रिया में उठने वाला कोई भी विवाद केवल मुंबई हाइकोर्ट के कानूनी न्यायिक क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

12.6 प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को यूजीसी वेब पोर्टल –www.antiragging.in पर एक अंडरटेकिंग जमा करनी होगी।

बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी

13. उपलब्ध सीटों की संख्या:कुल 16 सीटें

13.1 पुरे भारत से (जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है) 8 सीटें उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने एचएससी (10+2) या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की है जिसमें उनके अंक पीसीबी में 50% सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए हों , 40% अंक अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जन जाति (एसटी) / अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी)के लिए और 45% अंक शारीरिक विकलांग (पीएच)) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए हों। अखिल भारतीय कोटा के अधीन अभ्यर्थियों का चयन वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021 के नीट के अंको पर किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य के अधिवासी अभ्यर्थी भी इस कोटा के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। आरक्षण का रोस्टर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार बनाया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के दिनांक 31/1/2019 के ईमेल में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार, दिनांक 17/1/2019 के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12-4/2019-UI और दिनांक 29/1/2019 के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या V.11025/102019-MEP के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्गों (EWS) के लिए सभी पाठ्यक्रमों में आरक्षण शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के बाद लागू किया जाएगा। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए अगर आर्थिक दृष्टिसे दुर्बल में आरक्षण संभव हुआ तो उसके बारे में संस्थान की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा।

13.2 8 सीटें उन अभ्यर्थियों के लिए है जो महाराष्ट्र राज्य के अधिवासी हैं(महाराष्ट्र राज्य कोटा) और जिन्होंने एचएससी(10+2) की परीक्षा महाराष्ट्र राज्य के स्कूलों /कॉलेजों से उत्तीर्ण की है। महाराष्ट्र राज्य कोटा में अभ्यर्थियों का चयन डीएमइआर, मुंबई, महाराष्ट्र द्वारा किया जाएगा। प्रासंगिक जानकारी के लिए महाराष्ट्र राज्य के अभ्यर्थी www.dmer.org पर जा सकते हैं।

13.3 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए रोस्टर ब्यौरा:

क्र. सं.	**श्रेणी**	**सीटों की संख्या**
1	सामान्य	3 (पिछले 3 PH सीटों को कैरि फॉरवर्ड किया है)
2	ओबीसी	3(पिछले 3 PH सीटों को कैरि फॉरवर्ड किया है)
3	एससी	1(पिछले 3 PH सीटों को कैरि फॉरवर्ड किया है)
4	एसटी	1
Total		**8**

नोट : भारत सरकार के संस्थानो में प्रचलित उपबंधों के अनुसार और समय-समय पर किए जानेवाले संशोधन के अनुसार उपर्युक्त सीटों का आबंटन किया जाएगा। ओबीसी आरक्षण 'ओबीसी की केन्द्रीय सूची' के अनुसार किया जाएगा। अभ्यर्थियों की उपर्युक्त विनिर्दिष्ट श्रेणी की अनुपलब्धता की स्थिति में, प्रवेश के लिए मानदंड प्रचलित दिशा निर्देशों के अनुसार, सभी अभ्यर्थियों के मेरिट लिस्ट के अनुसार होगा।

13.4 प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय से संबंद्धता प्राप्त होने पर ही की जाएगी।

14. योग्यता:-

14.1 अभ्यर्थी जिन्होंने 12 वी कक्षा/एच.एस.सी (10+2) परीक्षा अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण की है और न्यूनतम 50% अंक पी सी बी में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए, 40% अंक एससी/ एसटी/ ओबीसी के लिए और 45% अंक शारीरिक विकलांग (पीएच) के लिए या कोई अन्य परीक्षा जो महाराष्ट्र राज्य बोर्ड जो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण देता है, द्वारा मान्य की गई हो।

14.2 अभ्यर्थी का 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व जन्म होना चाहिए। जन्म प्रमाण-पत्र या एस.एस.सी. (दसवीं कक्षा) या समतुल्य परीक्षा प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म की तारीख साफ-साफ पृष्ठांकित हो, एक विधिमान्य साक्ष्य होगा।

14.3 अन्य योग्यताओं के साथ और नीट विवरण पत्रिका 2020 के अर्हक परीक्षा कोड के अनुसार वर्तमान वर्ष के नीट के अंक बी.पी.ओ.(B.P.O.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विचारणीय होंगे। वे आवेदन जो 12वी कक्षा की मार्कशीटों के साथ जमा नहीं किये जाएंगे, उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

14.4 अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए।

14.5 प्रवेशित अभ्यर्थियों की योग्यता/ अर्हता, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक द्वारा प्रदान की जाएगी और इसके लिए यह संस्थान उत्तरदायी नहीं है। प्रवेश के समय संस्थान इस बात का आश्वासन नहीं देता कि अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय योग्यता / अर्हता प्रदान कर ही देगा।

15 अवधि –

चार साल छह माह (जिसमें छह माह की इंटर्नशीप भी शामिल है) अर्थात 4 ½ साल (पूर्णकालिक)

16 आवश्यक प्रमाणपत्र:-

प्रवेश के समय, अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की मूल प्रति के साथ अनुप्रमाणित फोटोकॉपियों के चार सेट और बिना अनुप्रमाणित फोटोकॉपी का एक सेट (कुल पाँच सेट) जमा करना होगा।

16.1 अ) राष्ट्रीयता / जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र /अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या (ब) विधिमान्य पासपोर्ट की फोटोकॉपी या (स) अधिवासी प्रमाण-पत्र या (ड) जन्म प्रमाण-पत्र जिस पर राष्ट्रीयता "भारतीय" पृष्ठांकित हो।

16.2 आधार कार्ड की फोटोकॉपी

16.3 माध्यमिक स्कूल (दसवीं) पासिंग प्रमाण-पत्र

16.4 उच्चतर माध्यमिक स्कूल (10+ 2) की मार्कशीट

16.5 पंजीकृत चिकित्सा कर्मी द्वारा उसकी पंजीकरण संख्या के स्टैम्प के साथ, मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र

16.6 विकलांगता प्रमाण-पत्र (सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा) (अगर लागू हो तो)

16.7 अपने अपने बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जो लागू है- (अ) उन छात्रों को जिन्होंने एचएससी की परीक्षा महाराष्ट्र के बाहर से उत्तीर्ण की हो। (ब) उन छात्रों को जिन्होंने एचएससी/ अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है।

16.8 आखिर में जिस कॉलेज में उपस्थिति थी, वहाँ का ट्रान्सफर /लीविंग प्रमाण- पत्र

16.9 शिक्षण में यदि 6 महीने से अधिक की अवधि का अन्तराल है तो एक शपथपत्र जो विधिवत कार्यपालक मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित हो/ नोटरी किया गया हो।

16.10 जिन अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन फॉर्म में आरक्षित वर्गों (अनुसूचित जाति (एससी) /अनुसूचित जन जाति (एसटी) / अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी)/ शारीरिक विकलांग (पीएच)) से होने का दावा किया था, उन्हें तत्संबंधी प्रमाण पत्रों [जाति प्रमाण-पत्र /OBC (विधिमान्य नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र जो 31.3.2021 तक मान्य हो।) / विकलांगता प्रमाण-पत्र] क्रमशः उनकी प्रमाणित प्रतियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उनकी मूल प्रतियों के साथ , प्रवेश के समय अनिवार्य रुप से जमा करना होगा। (जिन अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है, उन्हें उसका साक्ष्य मूल रुप में देना होगा और यह घोषणा करनी होगी कि यदि नामांकन एवं पात्रता फॉर्म को विश्वविद्यालय को जमा करने से पहले अगर मूल रुप में साक्ष्य जमा नहीं किया गया तो अभ्यर्थी का प्रवेश रद्द किया जाएगा।

नोट:- यदि किसी विशिष्ट राज्य द्वारा विधिमान्यता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता तो उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा- संलग्नक II के अनुसार

16.11 जिस संस्थान से अभ्यर्थी ने अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण की है, वहाँ से चरित्र प्रमाण- पत्र

16.12 खून की जाँच की रिपोर्ट – हीमोग्राम (क)

(क) एमसीवी (ख) एमसीएच (ग) एमसीएचसी (घ) एचबी (ड) सीबीसी (च) ब्लड ग्रुप

16.13 फोटो हाल ही में खीचें गए 5 पासपोर्ट साइज के फोटो।

16.14 अपने सक्षम मेडिकल प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया विकलांगता प्रमाण-पत्र(यदि लागू हो तो)

नोटः- अभ्यर्थियों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे आवश्यक प्रमाण- पत्र समय से पहले प्राप्त कर लें चूंकि वे अनिवार्य हैं और उन्हें प्रवेश के समय मूल रुप में जमा किया जाता है। प्रवेश के समय इन्हें जमा करने के लिए कोई ढील रियायत नहीं दी जाएगी।

17 बी.पी.ओ.(B.P.O.) पाठ्य विवरण (संक्षिप्त में)

17. 1 प्रथम वर्ष

1. शरीर- रचना (एनॉटॉमी)
2. शरीरा- विज्ञान (फिजिओलॉजी)
3. कार्यशाला तकनीक और वस्तु विज्ञान
4. अनुप्रयुक्त यांत्रिकी और सामग्री की मजबूती
5. मूल इलेक्ट्रॉनिक्स
6. बायो -मिकेनिक्स - I
7. प्रोस्थेटिक्स- I
8. ऑर्थोटिक्स – I

17.2 द्वितीय वर्ष

1. विकृती विज्ञान
2. अस्थि विज्ञान, अंगोच्छेदन शल्यक्रिया और इमेजिंग विज्ञान
3 सामूदायिक पुनर्वास और विकलांगता रोकथाम
4 मनोविज्ञान और समाज – विज्ञान
5. बायो- मिकेनिक्स – II
6 प्रोस्थेटिक्स – II
7 ऑर्थोटिक्स – II
8 औषधशास्त्र

17.3 तृतीय वर्ष

1. सहायक तकनीक
2. संगणक विज्ञान एवं ग्राफिकल संप्रेषण
3. शोध प्रणाली विज्ञान और बायोस्टेटिस्टीक्स
4. बायोमिकेनिक्स – III
5 प्रोस्थेटिक्स - III
6 ऑर्थोटिक्स - III

17.4 चतुर्थ वर्ष

1. प्रोस्थेटिक्स क्लीनिकल प्रैक्टिस
2. ऑर्थोटिक्स
3. व्यवस्थापन और प्रशासन
4. प्रोस्थेटिक्स- IV
5. ऑर्थोटिक्स - IV
6 परियोजना कार्य

विस्तृत पाठ्यविवरण और अन्य जानकारी के लिए अभ्यर्थी एमयूएचएस, नाशिक की वेबसाइट www.muhs.ac.in पर या भारतीय पुनर्वास परिषद की वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in पर जा सकते हैं।

नोटः- विश्वविद्यालय के दिनांक 2.5.2016 के पत्र संख्या- मआविवि-6.1 /2806/2016 के अनुसार अभ्यर्थी को 4 ½ वर्ष का बी.पी.ओ.(B.P.O.) पाठ्यक्रम अधिकतम 6 वर्षों में पूर्ण कर लेना चाहिए अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार बी.पी.ओ.(B.P.O.) पाठ्यक्रम में प्रवेश रद्द होगा और अभ्यर्थी को आगे बी.पी.ओ.(B.P.O.) की किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित किया जाएगा।

17.5 संस्थान की वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर चयनित अभ्यर्थियों की प्रथम सूची दिनांक 21 दिसंबर, 2020 को प्रदर्शित की जाएगी।

17.6 अभ्यर्थियों का चयन अनन्तिम होगा और अंतिम अर्हता संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी।

17.7 सभी अभ्यर्थियों को एतदद्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे मेरिट लिस्ट/ चयनित सूची/ प्रतीक्षा सूची/अनुदेशों / अद्यतित सूचनाओं संबंधी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए संस्थान की वेबसाइट समय –समय पर देखते रहें जो समय-समय पर वेबसाइट पर पोस्ट की जाएगी।

प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर संबधी जानकारी एम.पी.ओ.(M.P.O.))

18. उपलब्ध सीटों की संख्या- कुल 4 सीटे

18.1 दो सीटों उन अभ्यर्थियों के लिए हैं जिन्होंने बी.पी.ओ.(B.P.O.) डिग्री भारत के किसी भी कॉलेज / संस्थान से प्राप्त की है जिसमें महाराष्ट्र राज्य भी शामिल है(अखिल भारतीय कोटा) अखिल भारतीय कोटा के अंतर्गत अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के अनुसार किया जाएगा शैक्षणिक वर्ष 2019 -20 के लिए इस संस्थान द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर। (जिन अभ्यर्थियों ने एमयूएचएस, नाशिक , महाराष्ट्र से बी.पी.ओ.(B.P.O.) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है, वे भी इस कोटा के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। आरक्षण रोस्टर भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार बनाए रखा जाएगा।

18.2 दो सीटों उन अभ्यर्थियों के लिए हैं जिन्होंने प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स की स्नातक डिग्री महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त की है (महाराष्ट्र राज्य कोटा)। इस कोटा के अंतर्गत अभ्यर्थियों का चयन एक सामुहिक प्रवेश परीक्षा द्वारा होगा जिसका संचालन वैद्यकीय शिक्षण और संशोधन निदेशालय, मुंबई महाराष्ट्र द्वारा किया जाएगा। अर्थात- पी.जी – पी एंड ओ- सीईटी संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र राज्य के अभ्यर्थी www.dmer.org पर जा सकते हैं।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के दिनांक 31/1/2019 के ईमेल के अनुदेशों के अनुसार दिनांक 17/1/2019 के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12-4/ 2019-U 1 और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 29.1.2019 के कार्यालय ज्ञापन क्रं- V.11025/10/2019-MEP के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि ई. डब्ल्यू.एस. आरक्षण सभी पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के बाद किया जाएगा ।अगर शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण को लागू करना संभव हुआ तो उसे संस्थान की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा।

18.3 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए रोस्टर ब्यौरा:

क्र. सं.	**श्रेणी**	**सीटों की संख्या**
1	सामान्य	**1**
2	ओबीसी	1
Total		**2**

नोट : भारत सरकार के संस्थानो में प्रचलित उपबंधों के अनुसार और समय-समय पर किए जानेवाले संशोधन के अनुसार उपर्युक्त सीटों का आबंटन किया जाएगा। ओबीसी आरक्षण 'ओबीसी की केन्द्रीय सूची' के अनुसार किया जाएगा। अभ्यर्थियों की उपर्युक्त विनिर्दिष्ट श्रेणी की अनुपलब्धता की स्थिति में, प्रवेश के लिए मानदंड प्रचलित दिशा निर्देशों के अनुसार, सभी अभ्यर्थियों के मेरिट लिस्ट के अनुसार होगा।

18.4 विश्वविद्यालय से संबंद्धता प्राप्त होने के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

19. अर्हता / योग्यता –

19.1. छह महीने की अनिवार्य इंटर्नशीप की समाप्ति के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से प्राप्त की गई प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स में बैचलर / स्नातक डिग्री.

19.2 इंटर्नशिप समाप्त होने की तारीख 31/10/2020 को या उससे पहले

19.3 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए अभ्यर्थी को इस संस्थान द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा देनी होगी। सीटों का आबंटन मेरिट के अनुसार होगा जो प्रवेश परीक्षा के परिणाम पर आधारित होगा।

19.4 अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

19.5 अभ्यर्थियों का भारतीय पुनर्वास परिषद में, एमयूएचएस, नाशिक के दिशा निर्देशों के अनुसार पंजीकृत होना अनिवार्य है।
19.6 एमयूएचएस, परिपत्र संख्या 8/2017 एवं जावक क्र. एमयूएचएस/सी -5/ पीजी अलाइड/1280/2017 दिनांक 16.8.2017 के अनुसार जिन अभ्यर्थियों ने प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स की बॅचलर/ स्नातक डिग्री कृषि विश्वविद्यालय या दूरस्थ शिक्षण पद्धति द्वारा उत्तीर्ण की है, उन्हें इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता नहीं है।
19.7 प्रवेशित अभ्यर्थियों को अर्हता, एमयूएचएस, नाशिक नाशिक द्वारा दी जाती है और इस हेतु यह संस्थान किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता। यह संस्थान प्रवेश के समय यह आश्वासन नहीं देता कि अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय द्वारा अर्हता प्रदान कर दी जाएगी।

20. अवधि –दो शैक्षणिक वर्ष (पूर्णकालिक)

21. आवश्यक प्रमाणपत्र:-

प्रवेश के समय अभ्यर्थी को (अलग पारदर्शी फोल्डर में) निम्नलिखित प्रमाणपत्रों/ दस्तावेजों की अनुप्रमाणित फोटोकॉपियों का एक सेट और बिना अनुप्रमाणित फोटोकॉपियों का एक सेट (कुल दो सेट) के साथ उनकी मूल प्रतियाँ भी जमा करनी होंगी।

21.1 (क) जिला मैजिस्ट्रेट /अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट/ मुख्य महानगर मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी राष्ट्रीयता प्रमाण-पत्र या (ख) विधिमान्य पासपोर्ट की फोटोकॉपी या (ग) अधिवासी प्रमाण-पत्र या (घ) जन्म प्रमाण-पत्र जिस पर राष्ट्रीयता- “भारतीय” पृष्ठांकित होनी चाहिए।
21.2 आधार कार्ड की फोटोकॉपी
21.3 एस.एस.सी. (या समतुल्य) बोर्ड प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्म की तारीख अंकित हो)
21.4 उच्च माध्यमिक स्कूल (बारहवीं)की मार्कशीट।
21.5 प्रथम से अंतिम वर्ष बी.एससी (पी एंड ओ) / बी.पी.ओ.(B.P.O.) की मार्कशीटें।
21.6 डिग्री प्रमाण-पत्र (बी.एससी (पी एंड ओ) / बी.पी.ओ.(B.P.O.))
21.7 विश्वविद्यालय द्वारा जारी इंटर्नशीप समाप्ति प्रमाण-पत्र।
21.8 भारतीय पुनर्वास परिषद से विधिमान्य पंजीकरण प्रमाण-पत्र। (अस्थायी रुप से जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा)
21.9 प्रवास प्रमाण-पत्र (उन अभ्यर्थियों को लागू होगा जिन्होंने स्नातक परीक्षा एमयूएचएस, नाशिक विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है।)
21.10 स्थानांतरण / लीविंग प्रमाण-पत्र उस कॉलेज से जहाँ से आखिर में उपस्थिति दी थी।
21.11 शिक्षण में अन्तराल के छात्र द्वारा एक शपथपत्र जिसे कार्यपालक मैजिस्टेट / नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो(अगर अन्तराल इंटर्नशिप समाप्त होने के बाद 6 महीने से ज्यादा की अवधि का है।)
21.12 पंजीकृत मेडिकल चिकित्सा-कर्मी के पंजीकरण नंबर के स्टैम्प के साथ उसके द्वारा जारी मेडीकल फिटनेस प्रमाण-पत्र
21.13 संबंधित सक्षम मेडिकल प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण-पत्र (अगर लागू हो)
21.14 आरक्षित (एस.सी/एस.टी/ ओ.बी.सी/शारीरिक विकलांग (पीएच)) श्रेणियों के अभ्यर्थी जिन्होंने अपने आवेदन प्रपत्र में इस बात का दावा किया था, उन्हें संगत प्रमाणपत्रों की स्व-अनुप्रमाणित / प्रमाणित कॉपियाँ [जाति प्रमाण-पत्र/ जाति विधिमान्यता प्रमाण-पत्र/ ओबीसी (विधिमान्य नॉन- क्रिमी लेयर प्रमाण-पत्र जो 31.3.2021 तक विधिमान्य हो।) विकलांगता प्रमाण-पत्र] क्रमशः उनकी मूल प्रतियों के साथ जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये हों, अनिवार्य रुप से प्रवेश के समय जमा करना होगा। (जिन अभ्यर्थियों ने इस हेतु आवेदन किये है, उन्हें इसका साक्ष्य मूल रुप में देना होगा और यह घोषणा करनी होगी कि यदि वे साक्ष्य को विश्वविद्यालय को नामांकन एवं योग्यता फॉर्म जमा करने से पहले दे नहीं पाए तो उनका प्रवेश रद्द समझा जाएगा।

नोटः अगर जाति विधिमान्यता प्रमाण-पत्र किसी विशिष्ट राज्य द्वारा जारी नहीं किया जाता तो उन्हें संलग्नक- II के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

21.15 जिस संस्थान से अभ्यर्थी ने अर्हक परीक्षा पास की है, वहाँ से चरित्र प्रमाण-पत्र

21.16 इन सर्विस कार्मिकों के लिए ना हरकत प्रमाण-पत्र(यदि लागू हो)

21.17 प्रतिनियुक्त प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)

21.18 नाम में बदलाव हेतु शपथपत्र -सरकारी गजेट की प्रति/ विवाह का पंजीकरण प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)

21.19 खून की जाँच रिपोर्ट – हिमोग्राम(अ) एमसीबी (MCU) (आ) एमसीएच(MCH) (इ) एमसीएचसी (MCHC) (ई) एचबी(HB) (उ) सीबीसी(CBC) (ऊ) ब्लड ग्रुप

21.20 हाल ही की खिंचाई हुई, पासपोर्ट साइज पाँच फोटो।

नोटः अभ्यर्थियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे आवश्यक प्रमाण-पत्र समय से पहले प्राप्त कर लें चूंकि वे अनिवार्य हैं और प्रवेश के समय उनकी मूल प्रति को जमा किया जाना है। प्रवेश के समय इन प्रमाण पत्रों की व्यवस्था के लिए कोई ढील नहीं दी जाएगी।

22 प्रवेश परीक्षा की योजनाः

22.1 प्रवेश परीक्षा का प्रतिरुपः प्रवेश परीक्षा एक घंटे की अवधि की होगी और उसमें 60 अंकों के एमसीक्यु (MCQ) होंगे जो स्नातक स्तर पर अर्थात बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स के स्तर पर पढाए जाने वाले पाठ्य विवरण पर आधारित होंगे और इस पाठ्य विवरण का मानकीकरण भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा किया होगा।

22.2 प्रत्येक प्रश्न हेतु 4 विकल्प होंगे जिनमें से एक सही होगा। अभ्यर्थियों को प्रश्न के सामने बने बॉक्स में सही उत्तर (विकल्प) लिखना होगा। अभ्यर्थियों को कोई भी अन्य प्रकार से उत्तर नहीं देना है (केवल नीली / काली इंक का ही प्रयोग करें)

उदाहरण 1+ 2+ 3 =

(अ) □	(ब) 7
(क) 5	(ड) 4

22.3 प्रवेश परीक्षा के कुल अंक -60

22.4 प्रवेश परीक्षा की अवधि – 60 मिनट

23 प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड निम्न प्रकार से प्राप्त होंगे:-

23.1 एडमिट कार्ड आवेदकों को पोस्ट द्वारा भेजे जाएंगे जो प्रवेश परीक्षा के लगभग 10 दिन पहले प्राप्त होंगे। अभ्यर्थियों को 23 सेमी x 11.5 सेमी का एक लिफाफा जिस पर अपना पूरा पता लिखा हो, आवेदन प्रपत्र के साथ भेजना है। उस लिफाफे पर 60/- रुपये का पोस्टेज स्टॅम्प लगाना है और उस पर --------- (पाठ्यक्रम का नाम) के लिए एडमिट कार्ड लिखना है।

23.2 एडमिट कार्ड की न प्राप्ति या प्राप्ति में देरी होने की स्थिति में अभ्यर्थी डिमांड ड्राफ्ट की फोटोकॉपी देकर प्रवेश परीक्षा के दिन परीक्षा स्थल पर ड्यूप्लिकेट एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकता है।

24 एम.पी.ओ.(M.P.O.) के लिए प्रवेश परीक्षा की तारीख- 10/01/2021

24.1 एम.पी.ओ.(M.P.O.) की प्रवेश परीक्षा का स्थान –अभी तक अंतिम रूप दिया नहीं गया है। अभ्यर्थियों को जानकारी के लिए वेबसाइट की जाँच करने का निर्देश दिया गया है।

24.2 परीक्षा हॉल में रिपोर्ट करने का समय	10.30 पूर्वाह्न
24.3 प्रवेश परीक्षा का समय	11.00 पूर्वाह्न
24.4 प्रवेश परीक्षा की भाषा	अंग्रेजी

24.5 परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, कॅलक्युलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने की अनुमति नहीं है।

24.6 मुख्य बुकलेट के साथ अलग से दिये गये पेपर पर गणना / रफ कार्य किया जा सकता है।

24.7 अधिलेखन/ उत्तर को बदलने की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थियों को उत्तर के सही होने की संतुष्टि होने पर ही खाली बॉक्स में उत्तर का अक्षर लिखना चाहिए।

24.8 एक बार लिखे उत्तर में कोई भी बदलाव करने की अनुमति नहीं है। बदले हुए उत्तर को अमान्य / गलत माना जाएगा और उसके लिए कोई भी अंक नहीं दिये जाएंगे।

24.9 हर प्रश्न के अंक समान हैं। निगेटिव्ह मार्किंग नहीं होगी।

24.10 बिना एडमिट कार्ड के अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

24.11 परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड के साथ एक मूल फोटो पहचान का साक्ष्य अपने साथ लाना अनिवार्य है।

24.12 एम.पी.ओ.(M.P.O.) के लिए प्रवेश परीक्षा का परिणाम संस्थान के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर 12/01/2021 को प्रकाशित किया जाएगा।

24.13 एम.पी.ओ.(M.P.O.) पाठ्यक्रम के चयनित अभ्यर्थियों की जानकारी (प्रवेश परीक्षा के परिणाम के अनुसार) संस्थान की वेबसाइट -www.aiipmr.gov.in पर अपलोड की जाएगी ।

24.14 अभ्यर्थियों का चयन अस्थायी होगा और अंतिम अर्हता संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी।

24.15 सभी अभ्यर्थियों को एतदद्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे मेरिट लिस्ट/ चयन लिस्ट / प्रतीक्षा लिस्ट/ कोई भी अनुदेशों / अद्यतित सूचनाओं की विस्तृत जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट / नोटिस बोर्ड की जाँच करते रहें जिस पर यह सूचनाएँ समय-समय पर पोस्ट की जाएँगी।

24.16 प्रवेश परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए पुनः जाँच / पुनः मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। हालांकि अभ्यर्थी अंकों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा के परिणाम की घोषणा के चार दिनों के अंदर 500/- रुपये के डिमांड ड्राफ्ट को निदेशक, अ.भा. भौ.चि एवं पु. संस्थान के नामे (जो मुंबई में देय हो) संसाधन फीस के रुप में एक खाली पेपर पर आवेदन के साथ जमा करना होगा।

24.17 अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए अपना खर्च खुद उठाना होगा और मुंबई में अपने रहने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

24.18 COVID-19 महामारी को देखते हुए, महाराष्ट्र राज्य और बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई द्वारा जारी उचित दिशानिर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है, इसलिए सभी को पालन किए जाने वाले मानदंडों के बारे में खुद को अपडेट रखने के लिए सूचित किया जाता है। किसी भी कोविड लक्षण के साथ पाए गए व्यक्ति को परीक्षा लिखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

24.19 उचित फेस मास्क के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और हर समय सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है ।

24.20 अभ्यर्थी के सिवाय किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी भी कीमत पर परीक्षा स्थल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

25. एम.पी.ओ.(M.P.O.) पाठ्य विवरण (संक्षिप्त में) :-

25.1 प्रथम वर्ष –

1. अप्लाइड बायोमॅकेनिक्स और काइनिसियोलॉजी
2. मिकेनोट्रॉनिक्स
3. पैरो हेतु ऑर्थोटिक्स और क्लीनिकल गति आंकलन में उन्नति
4. पैरो हेतु प्रोस्थेटिक्स और क्लीनिकल गति आंकलन में उन्नति
5. शोध प्रणाली और बायोस्टेटिसटिक्स
6. शोध कार्य

25.2 द्वितीय वर्ष

1. पी एंड ओ शिक्षण में शिक्षण- शास्त्र और प्रशासनिक व्यवस्थापन एवं नितिपरक मामले
2. हाथों के ऑर्थोटिक्स में उन्नति
3. हाथों के प्रोस्थेटिक्स में उन्नति
4. मेरु-दंड ऑर्थोटिक्स में उन्नति
5. शोध –कार्य

पाठ्य –विवरण और अन्य विस्तृत जानकारी हेतु अभ्यर्थी एमयूएचएस, नाशिक की वेबसाइट www.muhs.ac.in या भारतीय पुनर्वास परिषद की वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in पर जा सकते हैं।

नोटः- दिनांक 2.6.2020 के विश्वविद्यालय के पत्र संख्या मआविवि (एक्स) / अधिसुचना -6/338/2016 के अनुसार, अभ्यर्थी को एम.पी.ओ.(M.P.O.) का 2 वर्ष का पाठ्यक्रम अधिकतम 3 सालों में पूरा कर लेना चाहिए अन्यथा प्रवेश विद्यपीठ की निर्धारित शर्तों के अनुसार स्वतः ही रद्द हो जाएगा और अभ्यर्थी को आगे की एम.पी.ओ.(M.P.O.) की परीक्षाओं में बैठने के लिए वर्जित किया जाएगा।

26. प्रवेश के समय विवरण- पत्रिका में उल्लिखित अन्य दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित फार्म भी जमा करने होंगे इन फार्म का फॉर्मेट संस्थान की वेबसाइट www.aiipmr.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

1. 'पाठ्यक्रम में प्रवेश' हेतु आवेदन फॉर्म
2. स्टेटस रिटेंशन फॉर्म
3. 'एंटी –रैगिंग' घोषणा फॉर्म
4. 'पहचान पत्र' (कार्ड) के लिए आवेदन फॉर्म
5. हॉस्टेल में आवास के लिए आवेदन फॉर्म(अगर आवश्यकता हो)

27 बॉन्ड जमा करनाः-

एम.पी.ओ.(M.P.O.) पाठ्यक्रम के लिए प्रवेशित अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम की समाप्ति हेतु 100000/- रुपये की राशि का बॉंड जमा करने की अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। जो नोटरी के साथ 100/- रुपये के स्टैम्प पेपर पर बनाया होना चाहिए। उसे 100000 रुपये (केवल एक लाख रुपये) की राशि पाठ्यक्रम न समाप्त करने के लिए जमा करनी होगी। यह एमयूएचएस, नाशिक / डीएमइआर / महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित अंतिम तिथि के बाद लागू होगा।

संस्थान के संपर्कः-

पता - अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान,

हाजी अली पार्क, के. खाड्ये मार्ग, महालक्ष्मी, मुंबई- 400034.

दूरभाषः- 022-023544341/23544332/23528824/23515765/23545358

शैक्षणिक अनुभाग की विस्तार-सं 208

फैक्स नंबर- 022-23542043

वेबसाइट- www.aiipmr.gov.in

ईमेलः- director@aiipmr.gov.in

शैक्षणिक अनुभाग का ईमेलः- acad.aiipmr@.nic.in

संगत संपर्कः-

1. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, वाणी रोड, म्हसरुळ, नाशिक 422004.

   दूरभाष- 0253-2539230/232 , फैक्स नं- 0253 2539231/233

   वेबसाइट- www.muhs.ac.in

2. **भारतीय पुनर्वास परिषद**

   बी- 22, कुतुब संस्थानीय क्षेत्र, नई दिल्ली-110016

   दूरभाष - 011-26532408/26532816

   फैक्स नं- 011-26534291

   वेबसाइट- www.rehabcouncil.nic.in

बी.पी.ओ.(B.P.O.) पाठ्यक्रमों – 2020-21 के लिए प्रवेश सूची

क्र.सं.	विशिष्टियाँ	तारीखें
1.	बी.पी.ओ.(B.P.O.) के लिए अभ्यर्थी का जन्म ------को या इससे पहले होना चाहिए	31 दिसंबर, 2003
2.	आवेदन फार्म और विवरण पत्रिका जारी होने की और डीडी के साथ आवेदन फॉर्म प्राप्त होने की आखिरी तारीख	15/12/ 2020
3	मेरिट लिस्ट/ चयनित अभ्यर्थियों की सूची की तिथि	21/12/ 2020

एम.पी.ओ.(M.P.O.) पाठ्यक्रमों 2020-21 में प्रवेश सूची

क्र.सं.	विशिष्टियाँ	तारीखें
1	इंटर्नशिप समाप्त होने की तारीख ------- को या उससे पहले	31/10/ 2020
2	आवेदन फॉर्म और विवरण पत्रिका डाउन लोड करने की आखिरी तारीख और डीडी के साथ आवेदन फॉर्म प्राप्त करने की आखिरी तारीख	20/12/ 2020
3	प्रवेश परीक्षा की तारीख	10/01/ 2021 (रविवार)
4	प्रवेश परीक्षा के स्थान पर रिपोर्ट करने का समय	10.30 पूर्वाह्न
	परीक्षा का समय	11.00 से 12.00 बजे तक
	प्रवेश परीक्षा के परिणाम की तारीख	12/01/ 2020
5	मेरिट लिस्ट/ चयनित अभ्यर्थियों की सूची की तारीख	बाद में सूचित की जाएगी।
6	प्रवेश परीक्षा का स्थान	बाद में सूचित किया जाएगा।

नोटः- पाठ्यक्रमानुसार चयन सूचियाँ, उपरोक्त सूची में कोई भी संशोधन या आवश्यक सूचनाएँ संस्थान की www.aiipmr.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध की जाएँगी। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे समय- समय पर संस्थान का वेबसाइट देखें।

OBC Certificate Format

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS / ADMISSION TO CENTRAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (CEIs), UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

This is to certify that Shri / Smt. / Kum*.________________________ Son / Daughter* of Shri / Smt.* ________________________ of Village/Town* ________________________ District/Division* ________________________ in the ________________ State belongs to the ________________________ community which is recognized as a backward class under:

(i) Resolution No. 12011/68/93-BCC(C) dated 10/09/93 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 186 dated 13/09/93.
(ii) Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19/10/94 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 163 dated 20/10/94.
(iii) Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 24/05/95 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 88 dated 25/05/95.
(iv) Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 9/03/96.
(v) Resolution No. 12011/44/96-BCC dated 6/12/96 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 11/12/96.
(vi) Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 03/12/97.
(vii) Resolution No. 12011/99/94-BCC dated 11/12/97.
(viii) Resolution No. 12011/68/98-BCC dated 27/10/99.
(ix) Resolution No. 12011/88/98-BCC dated 6/12/99 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 270 dated 06/12/99.
(x) Resolution No. 12011/36/99-BCC dated 04/04/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 71 dated 04/04/2000.
(xi) Resolution No. 12011/44/99-BCC dated 21/09/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 21/09/2000.
(xii) Resolution No. 12015/9/2000-BCC dated 06/09/2001.
(xiii) Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated 19/06/2003.
(xiv) Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13/01/2004.
(xv) Resolution No. 12011/9/2004-BCC dated 16/01/2006 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 16/01/2006.
(xvi) Resolution No. 12011/14/2004-BCC dated 12/03/2007 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 67 dated 12/03/2007.
(xvii) Resolution No. 12015/2/2007-BCC dated 18/08/2010.
(xviii) Resolution No. 12015/13/2010-BCC dated 08/12/2011.

Shri / Smt. / Kum. ________________________ and / or his family ordinarily reside(s) in the ________________ District / Division of ________________ State. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08/09/93 which is modified vide OM No. 36033/3/2004 Estt.(Res.) dated 09/03/2004, further modified vide OM No. 36033/3/2004-Estt. (Res.) dated 14/10/2008 or the latest notification of the Government of India.

Dated:

District Magistrate /
Deputy Commissioner /
Competent Authority

Seal

* Please delete the word(s) which are not applicable.

NOTE:

(a) The term 'Ordinarily resides' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.
(b) The authorities competent to issue Caste Certificates are indicated below:
(i) District Magistrate / Additional Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / Deputy Collector / Ist Class Stipendiary Magistrate / Sub-Divisional magistrate / Taluka Magistrate / Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner (not below the rank of Ist Class Stipendiary Magistrate).
(ii) Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate.
(iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar and
(iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and / or his family resides.

संलग्नक – II

-- का कार्यालय

जावक क्रः-   तारीखः-

<u>जिस किसी- से -भी संबंधित हो</u>

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ सुश्री (नाम) ------------------------------- को ----------------------क्रमांक का जाति प्रमाण पत्र जो --------------- तारीख को तहसीलदार / मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया, वह विधिमान्य है।

आगे, यह बताया जाता है कि -------------------------- राज्य में जाति विधिमान्यता प्रमाण-पत्र को अलग से जारी करने का कोई प्रावधान नहीं हैं।

कार्यालय की मुहर

तहसीलदार/ मैजिस्ट्रेट जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

सरासरी तौर पर बी.पी.ओ.(B.P.O.) की प्रक्रिया:-

अभ्यर्थी संस्थान की वेबसाइट www.aiipmr.gov.in से आवेदन फार्म और विवरण पत्रिका डाउनलोड कर सकता है।

↓

डीडी के साथ विधिवत भरा हुआ आवेदन फॉर्म, प्रवेश पत्र और प्रमाण पत्रों को संस्थान के पते पर भेजा जा सकता है या कार्यालयीन समय पर स्वयं जमा किया जा सकता है।

↓

अभ्यर्थी को आवेदन फॉर्म के साथ एडमिट कार्ड (ड्यूप्लिकेट में जैसा फॉर्म में दिया है) जमा करना है और फोटो आयडी प्रुफ के साथ उसे भी साथ लाना है।

↓

संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र भेजा जाएगा।

↓

सीईटी CET परीक्षा को बैठना।

↓

मेरिट लिस्ट/ नोटिस को संस्थान की वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा और तदनुसार चयनित अभ्यर्थी को स्वयं आकर प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना होगा।

↓

प्रवेश के समय मद संख्या 21 में उल्लिखित सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों के साथ उनकी 2 सेट की फोटोकॉपियाँ भी लानी होंगी।

सरासरी तौर पर एम.पी.ओ.(M.P.O.) की प्रक्रिया:-

अभ्यर्थी संस्थान की वेबसाइट www.aiipmr.gov.in से आवेदन फार्म और विवरण पत्रिका डाउनलोड कर सकता है।

↓

वर्तमान वर्ष (2020-21) की नीट परीक्षा के अंकों की मार्कशीट, बारहवी की मार्कशीट प्रमाण पत्र और डीडी के साथ विधिवत भरा हुआ आवेदन फॉर्म संस्थान के पते पर पोस्ट द्वारा भेजा जा सकता है या जमा किया जा सकता है।

↓

मेरिट लिस्ट/ नोटिस को संस्थान की वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा और तदनुसार चयनित अभ्यर्थी को स्वयं आकर प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना होगा।

↓

प्रवेश के समय अभ्यर्थी को मद संख्या 16 में उल्लिखित सभी प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियों के साथ उनकी 2 सेट की फोटोकॉपियाँ भी लानी होंगी।

*** विवरण पत्रिका के हिंदी रूपान्तर में यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो विवरण पत्रिका का अंग्रेजी रूपान्तर ही मान्य समझा जाएगा।**